छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
:: आदेश ::

नया रायपुर दिनांक 27/5/2016

क्रमांक एफ 7–28/2016/32 :: शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भवनों के निर्माण/ढहाने के दौरान उडने वाली धूल के कारण जनजीवन पर दुष्प्रभाव के साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इस स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण के उपाय आवश्यक है। भवनों (यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक) के निर्माण के दौरान पर्यावरण संरक्षण की दृष्टिकोण से उडने वाली धूल के रोकथाम एवं जन सुरक्षा हेतु राज्य शासन, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक–23, सन 1973) की धारा 73 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्वांत एतद्द्वारा जारी करता है:–

1. 1000 वर्गमीटर एवं उससे अधिक के क्षेत्रफल के भू–खण्ड में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण/पुननिर्मानण/भवन को गिराने के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं जनसुरक्षा तथा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रदूषण की रोकथाम हेतु निर्माणाधीन भवन के चारों ओर धूल अवरोधक लगाया जाना आवश्यक होगा, जिसमें निम्नलिखित विधियॉ सम्मिलित होंगी– स्थल की आवश्यकता अनुसार क्लोज कर्टेन/बिन्ड ब्रेकिंग स्ट्रक्चर/बैरियर का प्रयोग, मिट्‌टी में नमी, वृक्षारोपण आदि।

2. भूमि स्वामी द्वारा अपने उत्तरदायित्वों अथवा कर्त्तव्यों का पालन नहीं किये जाने की दशा में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 31 (3) के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी. एल. सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

- 26 -D:\Baruaa-2016\bhumi vikas f-7-18.2015

क्रमांक एफ 7–28/2016/32 नया रायपुर, दिनांक 27/5/2016

प्रतिलिपिः–

5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
7. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
8. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय,

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव